भास्कर एनालिसिस • ग्लोबल स्ट्रीमिंग में हिंदी म्यूजिक की हिस्सेदारी बढ़ी, अंग्रेजी, स्पेनिश, की घटी

सालाना 15% बढ़ रही म्यूजिक इंडस्ट्री

अजय तिवारी | नई दिल्ली

देश की म्यूजिक इंडस्ट्री हर साल करीब 15% बढ़ रही है। बीते 10 साल से ये तेज रफ्तार बरकरार है, जो दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ है। इसके मुकाबले ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ करीब 10% ही है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री (आईएफपीआई) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की कमाई सालाना 15.3% बढ़ी। वहीं, इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री (आईएमआई) की एक रिपोर्ट कहती है कि भारतीय रिकॉर्डेड म्यूजिक मार्केट सालाना 15.8% बढ़ रहा है। डेटा एंड रिसर्च एजेंसी स्टैटिस्टा के मुताबिक, 2022 में इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 2,200 करोड़ रुपए थी। 2025 तक इसके 3,300 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।

28% बढ़ी हिंदी गानों की स्ट्रीमिंग, अंग्रेजी गानों की स्ट्रीमिंग 11.6% घटी

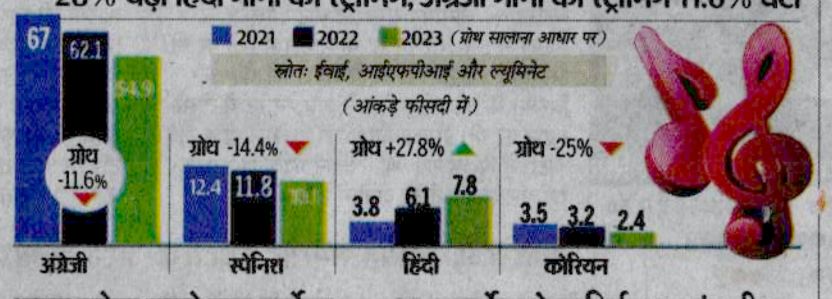

भारत बनेगा सबसे बड़ा मार्केट

देश में म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के करीब 20 करोड़ यूजर हैं। ऑन-डिमांड ऑडियो और वीडियो सॉन्ग स्ट्रीम ग्रोथ में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। ल्यूमिनेट के मुताबिक 2023 में दुनिया में 7 लाख करोड़ से ज्यादा गाने स्ट्रीम हुए। 1.45 लाख करोड़ स्ट्रीम के साथ अमेरिका टॉप पर है। भारत 1.04 लाख करोड़ स्ट्रीमिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। इस साल भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट बन जाएगा।

35% मार्केट शेयर सिर्फ एक कंपनी का

भारतीय म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल के दुनिया में सबसे ज्यादा 26.2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की कुल कमाई में इसकी हिस्सेदारी करीब 35 फीसदी है।

इंटरनेशनल म्यूजिक में बढ़ रहा दखल

इस साल भारत को फिर ग्रेमी अवॉर्ड मिला। हमारे आर्टिस्ट्स पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं। ज्यादातर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अब भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। **-कविता सेठ,** भारतीय सिंगर, कंपोजर

भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री एक नजर में

- भारत में म्यूजिक से सालाना कमाई मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कुल आय का करीब 6% है।
- इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की कुल आय में 80% हिस्सेदारी अकेले फिल्मी साउंडट्रैक की है।
- 2021 में भारत दुनिया का 17वां सबसे बड़ा म्यूजिक मार्केट था। 2024 में ये 14वें नंबर पर पहुंच गया।
- अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मार्केट है। जापान और ब्रिटेन क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।

(स्रोत: ईवाई और आईएफपीआई)

बैंक, वित्तीय शेयरों में खरीदारी से 941 अंक उछला सेंसेक्स

बैंकेक्स 2.7%, फाइनेंशियल सर्वि. इंडेक्स 1.81% चढ़ा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बैंक और फाइनेंशियल शेयरों की अगुआई में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। परिणामस्वरूप सेंसेक्स 941 अंक उछलकर 74,671 पर बंद हुआ। यह साल की तीसरी सबसे बड़ी बढ़त रही। इससे पहले यह 29 जनवरी को 1,241 अंक और 1 मार्च को 1,245 अंक चढ़ा था। निफ्टी में 223 अंकों की बढ़त रही। यह 22,643 पर बंद हुआ। कुछ बड़े बैंकों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने बैंक और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी को बढ़ावा दिया। बैंकेक्स 2.7% और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1.81% चढ़कर बंद हुए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रमुख यूरोपीय बाजारों और अमेरिकी बाजार में तेजी इसलिए आई क्योंकि निवेशकों ने अपना ध्यान बुधवार को आने वाले फेडरल रिजर्व के नीतिगत फैसले और शुक्रवार को आने वाले अमेरिकी नौकरियों के आंकड़ों पर केंद्रित कर लिया।

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने सोमवार को 7,590 का ऑल टाइम हाई बनाया। बीते 1 साल में यह 81.62% चढ़ा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूंजी की ऊंची डिमांड के चलते क्रेडिट ग्रोथ मजबूत बनी हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड शामिल होने से पीएसयू बैंकों के लिए स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।

पर्सनल फाइनेंस कॉर्नर

इक्विटी से मिला रिटर्न गिल्ट फंड में निवेश करें

शेयर मार्केट में इस समय वैल्युएशन काफी हाई है और निवेशकों को खासतौर पर स्मॉल और मिड कैप इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। इक्विटी से मिले रिटर्न को किसी सुरक्षित प्रोडक्ट में निवेश के नजरिये से गिल्ट फंड एक अच्छा विकल्प हैं।

• न्यूनतम जोखिम

डेट-ओरिएंटेड गिल्ट फंड अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 80% राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी की गई सिक्योरिटीज यानी सॉवरेन बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। इनमें निर्धारित रिटर्न की सरकारी गारंटी होती है।

• ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड

गिल्ट फंड ओपन-एंडेड डेट म्युचुअल फंड होते हैं। यानी आप कभी भी इनमें निवेश कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं।

• तीन से पांच साल की निवेश अवधि

गिल्ट फंड में तीन से पांच साल की निवेश अवधि आदर्श मानी जाती है। 3 वर्षों के बाद फंड रिडीम करने पर अर्जित लाभ पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है।

• 8% तक रिटर्न

कुछ प्रमुख गिल्ट फंड के 24 अप्रैल 2024 तक के सालाना रिटर्न की गणना करने पर पता चलता है कि इनमें 1 साल में 7.4%, 5 साल में 7.9% और 7 साल में 7.3% तक अधिकतम सालाना रिटर्न मिला है।

• इन बातों का रखें ध्यान

गिल्ट फंड का सर्विस चार्ज कुल एसेट का एक प्रतिशत तक हो सकता है। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में गिरावट आती है तो गिल्ट फंड अच्छा रिटर्न प्रदान करते हैं। ब्याज दरें तेजी से बढ़ती हैं, तो गिल्ट फंड का एनएवी काफी कम हो जाता है।

वाय. शिवा बने सेंट्रल बैंक कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव

रायपुर| राजधानी के वाय. शिवा को सेंट्रल बैंक कर्मचारी यूनियन छत्तीसगढ़ का प्रदेश महासचिव तथा भिलाई के तपन नाग को अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। पदाधिकारियों का चुनाव सेंट्रल बैंक एम्प्लाइज यूनियन छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से आयोजित जनरल बॉडी मीटिंग में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया सेंट्रल बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव व ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव बीएस रामबाबू मौजूद रहे। मीटिंग में दुर्ग से गिरिराज सिंह को उप-महासचिव, वी. लक्ष्मण राव को कोषाध्यक्ष, प्रदीप वर्मा को रायपुर क्षेत्रीय सचिव, सुभाष जेना को अम्बिकापुर क्षेत्रीय सचिव, कौन्तेय गर्ग, चंदन कुमार, रूपकुमार सेन व गणेश जंघेल को संगठन सचिव चुना गया। महिला विंग का प्रभार अर्चना सिंह व सुजाता तिग्गा को दिया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन के महासचिव शिरीष नलगुंडवार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बिल्डिंग मटेरियल की मजबूत डिमांड का मिला फायदा..

अल्ट्राटेक का मुनाफा 35% बढ़कर 2,258 करोड़ रु.; अनुमान से बेहतर

बिजनेस संवाददाता/मुंबई | देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक का जनवरी-मार्च तिमाही में कंसॉलिडेटेड मुनाफा 35.5% बढ़कर 2,258 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले साल समान तिमाही में 1,666 करोड़ रुपए था। कंपनी की आय सालाना आधार पर 9.4% बढ़कर 20,419 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह आंकड़े विश्लेषकों के अनुमान से अधिक है। मुनाफे और आय में यह बढ़ोतरी बिल्डिंग मटेरियल की मजबूत मांग, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने से देखने को मिली है। 12 ब्रोकरेज के औसत अनुमान के मुताबिक अल्ट्राटेक का मुनाफा सालाना आधार पर 23% बढ़कर 1,976.58 करोड़ रु. तक पहुंचने और रेवेन्यू सालाना आधार पर 9% बढ़कर 18,078.29 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी।

पीएनबी हाउसिंग का मुनाफा 45% बढ़ा: पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का 2023-24 में मुनाफा 44.6% बढ़कर 1,527.42 करोड़ रु. हो गया। आय भी 8.18% बढ़ी और यह 7,023.98 करोड़ रु. पर पहुंच गई। कंपनी की ब्याज से आय सालाना आधार पर 8.64% बढ़कर 6,706.24 करोड़ रुपए हो गई।

अल्ट्राटेक का सालाना रिजल्ट एक नजर में

कैटेगरी	2022-23	2023-24	ग्रोथ/बढ़त
कुल बिक्री	62,338	69,810	▲12.0%
आय	63,239	70,908	▲12.1%
नेट प्रॉफिट	5,064	7,005	▲38.3%
कुल खर्च	56,331	62,053	▲10.2%
डिविडेंड	38 रुपए	70 रुपए	▲84.2%
प्रॉफिट मार्जिन	7.94%	9.79%	▲1.85%
कैश	370	554	▲49.7%

आंकड़े करोड़ रुपए में

मार्केट कैप नतीजे के दिन अल्ट्राटेक का मार्केट कैप 2.88 लाख करोड़ रहा, 24वीं बड़ी कंपनी

ट्रेंट का मुनाफा 275% बढ़कर 1,477 करोड़: टाटा ग्रुप की फैशन रिटेल कंपनी ट्रेंट का 2023-24 में कंसॉलिडेटेड मुनाफा 275% बढ़कर 1,477.46 करोड़ हो गया। यह 2022-23 में 393.63 करोड़ था।

कंपनियों की रेवेन्यू ग्रोथ ढाई साल में सबसे कम

नई दिल्ली|घरेलू कंपनियों की आमदनी की ग्रोथ जनवरी-मार्च तिमाही में 4-6% तक सीमित रह सकती है जो कोविड के बाद की सबसे धीमी दर होगी। क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट 350 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। हालांकि इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में आय में मजबूत ग्रोथ के बाद यह नरमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिसिल की निगरानी में शामिल 47 सेक्टर में से केवल 12 में मार्च तिमाही के लिए तिमाही और सालाना आधार पर आय में सुधार होने की उम्मीद है। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहने की उम्मीद है। इसमें ऑटोमोबाइल, एफमसीजी, रिटेल, एयरलाइंस और होटल जैसे सेक्टर शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में अच्छी डिमांड रहने से ऑर्गनाइज्ड रिटेल सेक्टर में लगातार 13वीं तिमाही में बढ़ोतरी देखने को मिली है।

Notice u/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932

It is hereby notified that constitution of Partnership firm namely **M/s Chhattisgarh Ispat Udyog,** having office at **15/62,** Jawahar Nagar, Raipur (Chhattisgarh) has undergone change on **07/04/2024** whereby Shri Ravi Agrawal is expelled from the firm, due to decision taken by remaining partners, from the partnership firm on **07.04.2024** and communicated to him on **10.04.2024.**

Place : Raipur
Date : 29/04/2024

for, Chhattisgarh Ispat Udyog
Partner
Pradeep Agrawal

फॉर्म संख्या आरएससी 4
[नियम 3(3) के अनुसार]
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, कटक पीठ, कटक के समक्ष
सीपी संख्या 1/सीबी/2024

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में; तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के अंतर्गत आवेदन के मामले में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (कंपनी की शेयर पूंजी में कमी की प्रक्रिया) नियम, 2016 के साथ पठित; स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय हाउस नंबर 16, रिक्रिएशन रोड पर है चौबे कॉलोनी, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़ ....आवेदक कंपनी

सूचना का प्रकाशन

ध्यान दें कि स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड ('आवेदक कंपनी') की शेयर पूंजी को 69261880 (छह करोड़ निन्यानबे लाख इकसठ हजार आठ सौ अस्सी) 10/- (दस रुपए) प्रत्येक कुल मिलाकर 69,26,18,800/- (उनसठ करोड़ छब्बीस लाख अठारह हजार आठ सौ मात्र) से 46511040 (चार करोड़ पैंसठ लाख ग्यारह हजार चालीस) इक्विटी शेयर 10/- (दस रुपए) कुल मिलाकर 46,51,10,400/- (छियालीस करोड़ इक्यावन लाख दस हजार चार सौ मात्र) के इक्विटी शेयरों से कम करने की पुष्टि के लिए 15 अप्रैल, 2024 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, कटक बेंच ('माननीय न्यायाधिकरण') के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। व्यक्तिगत लेनदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आवेदक कंपनी द्वारा 02-03-2024 को तैयार की गई लेनदारों की सूची आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार के बीच सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। यदि आवेदक कंपनी के किसी ऋणदाता को आवेदन या ऋणदाताओं की सूची में दिए गए विवरण पर कोई आपत्ति है, तो उसे (समर्थक दस्तावेजों के साथ) तथा उसके नाम और पते और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के नाम और पते के विवरण, यदि कोई हो, को इस नोटिस की तिथि से तीन महीने के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को पंजीकृत कार्यालय, हाउस नंबर 16, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, रायपुर-492 001, छत्तीसगढ़ में भेजा जा सकता है। यदि ऊपर बताए गए समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदक कंपनी की शेयर पूंजी को कम करने के लिए उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाही में ऋणदाताओं की सूची में प्रविष्टियों को सही माना जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 22 जुलाई, 2024 को सुनवाई तय की गई है, जिस दिन माननीय न्यायाधिकरण आवेदन पर सुनवाई करेगा। यदि कोई ऋणदाता सुनवाई में भाग लेने का इरादा रखता है, तो उसे अपनी आपत्तियों के साथ अनुरोध करना चाहिए, यदि कोई हो।

स्काई अलॉयज एंड पावर लिमिटेड के लिए
एसडी/-
दिनांकः 30.04.2024 स्थानः रायपुर
रवि सिंघल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 01197349

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार सत्येन्द्र वर्मा पिता श्री माखनलाल वर्मा निवासी- [illegible] रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि ख.नं. 226, 792, 793/1 रकबा क्रमशः 0.37 हे., 0.17 हे., 0.18 हे. भूमि को इकरारकर्ता- नीलकंठ साहू पिता श्री मयाराम साहू निवासी- ग्राम भोथीडीह, तहसील गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ.ग. से खरीदने का पक्का सौदा तय कर लिया है तथा विक्रय पंजीयन कराया जाना शेष है।

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, साहूकार, महाजन, या शासकीय अथवा अर्धशासकीय कार्यालय को किसी भी प्रकार से कोई उजर आपत्ति या दावा हो तो मेरे नीचे लिखे कार्यालय पते पर सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर खुद अथवा अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता / अभिभावक के माध्यम से सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर पावती ले लेवें अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उक्त समय व्यतित होने के पश्चात उक्त भूमि का विक्रय पंजीयन खुद अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के नाम पर पंजीयन करा लेवेंगा तथा बाद में किया गया दावा आपत्ति मेरे पक्षकार के उपर बंधनकारी नहीं होगा। एवं सदभावक क्रेता माना जावेंगा।

दिनांक- 29/04/2024, स्थान- अभनपुर

नागेन्द्र कुमार सिन्हा
अधिवक्ता अभनपुर
मो.नं. 9893906809

NAME CHANGE

It is informed to the general public that I Ashwini Subash W/o Veeranagouda Biradar resident of H-1002, Raheja Residency, Opposite St Xavier School, Avanti Vihar, Purena, VTC : Raipur, (C.G.) 492001 have changed my old name Ashwini Subash W/o Veeranagouda Biradar so in future I should be recognized by my new name that is Ashwini Biradar W/o Veeranagouda Biradar in all government and other documents.

-ASHWINI BIRADAR

सस्ती आम सूचना पड़ेगी बहुत महंगी!!!

दैनिक भास्कर

मात्र कुछ रुपए बचाने के लिए
रख आप जीवन भर की कमाई से खरीदी अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित आम सूचना किसी कम प्रसार संख्या वाले अखबार में प्रकाशित करते हैं,
तो उससे संबंधित विवाद या परेशानी के उजागर होने की संभावना बहुत कम होती है।

जिससे आपकी प्रॉपर्टी दिक्कत में आ जाती है।

दैनिक भास्कर के साथ
आपकी आम सूचना पहुँचती है,
लाखों पाठकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ,
जो आपकी आम सूचना को बनाता है, रिस्क फ्री।

इसलिए आम सूचना के लिए सिर्फ दैनिक भास्कर ही चुनें।

आम सूचना के प्रकाशन के लिए संपर्क करें 888-9898-444

आम सूचना

वाके मौजा - कोटा - 3, प.ह.नं. 00051, रा.नि.मं. - रायपुर - 1, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित परिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नंबर 15002/4 का भाग, रकबा 1053 वर्गफुट भूमि के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार प्रदीप सिंह पिता श्री सुभाष सिंह, निवासी- धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विक्रेता राजीव कुमार गुप्ता, पिता श्री किशोरी लाल गुप्ता, निवासी- गीता नगर, अनुराधा अपार्टमेंट के पीछे, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के आधिपत्य व स्वामित्व की परिवर्तित भूमि वाके मौजा-कोटा-3, प.ह.नं. 00051, रा.नि.मं.- रायपुर - 1, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित परिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नंबर 15002/4 का भाग, रकबा 1053 वर्गफुट भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर बयाना राशि अदा कर दिया है एवं शेष राशि का भुगतान बैनामें के निष्पादन के समय किये जाने की बात हुई है।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, निगम, निकाय, बोर्ड, प्राधिकरण निजी संस्था आदि को किसी भी प्रकार की उजर आपत्ति है। तो यह इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिन के भीतर अपनी, उजर, आपत्ति का दावा मेरे कार्यालय में सुसंगतमय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद म्याद की गई किसी भी प्रकार की उजर, आपत्ति या दावा के लिए मेरे पक्षकार पर कोई बंधनकारी नहीं होगा और वह अपने पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा करवा लेगा।

सो सूचना जानें।

रायपुर, छत्तीसगढ़
दिनांक: 29.04.2024

अजय मिश्रा (अधिवक्ता)
पता- गणपत चौक, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.)
Mob. : 95756-98096, 94252 08960

NAME CHANGE

I, KHUSHI JHAWAR D/o LAKSHMI KANT JHAWAR presently Residing at Anand Niketan, Avanti Vihar, Raipur declare the change of my name which has been wrongly written as JHAWAR KHUSHI in my secondary School Certificate.

The actual name of mine would be "KHUSHI JHAWAR" and I therefore, hereby expressly authorize and require all persons whomsoever at all times to designate, describe and address me by "KHUSHI JHAWAR" in all my records and official documents.

KHUSHI JHAWAR

आम सूचना

वाके मौजा - कोटा-3, प.ह.नं. 00051, रा.नि.मं.- रायपुर - 1, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित परिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नंबर 15002/4 का भाग, रकबा 1053 वर्गफुट भूमि के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अमित कुमार जैन, पिता श्री मोहन लाल चोपड़ा, निवासी- डी-37, श्रीराम वाटिका, भवनी नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.) द्वारा विक्रेता राजीव कुमार गुप्ता, पिता श्री किशोरी लाल गुप्ता, निवासी- गीता नगर, अनुराधा अपार्टमेंट के पीछे, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के आधिपत्य व स्वामित्व की परिवर्तित भूमि वाके मौजा - कोटा - 3, प.ह.नं. 00051, रा.नि.मं.- रायपुर-1, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित परिवर्तित आवासीय भूमि खसरा नंबर 15002/4 का भाग, रकबा 1053 वर्गफुट भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर बयाना राशि अदा कर दिया है एवं शेष राशि का भुगतान बैनामें के निष्पादन के समय किये जाने की बात हुई है।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था, शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, निगम, निकाय, बोर्ड, प्राधिकरण निजी संस्था आदि को किसी भी प्रकार की उजर आपत्ति है। तो यह इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिन के भीतर अपनी, उजर, आपत्ति का दावा मेरे कार्यालय में सुसंगतमय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद म्याद की गई किसी भी प्रकार की उजर, आपत्ति या दावा के लिए मेरे पक्षकार पर कोई बंधनकारी नहीं होगा और वह अपने पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा करवा लेगा।

सो सूचना जानें।

रायपुर, छत्तीसगढ़
दिनांक: 29.04.2024

अजय मिश्रा, अधिवक्ता
पता- गणपत चौक, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.)
मो. 9575698096, 94252 08960

:: उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु ::
(आदेश-5, नियम-20 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)
न्यायालयः-भूपेश कुमार बसंत, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर छ.ग.

उत्तराधिकार क्र 29/2024 प्रो.क्र. 330
पेशी तारीख 12.06.2024
मीनाबाई - आवेदिका
-बनाम-
आम जनता - अनावेदक
प्रति,
आम जनता जिसका इस केस से संबंध हो अनावेदकगण

जो कि आवेदिका के मृतक पुत्र नंदूलाल नवरंगे के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु इस न्यायालय में पेशी 12.06.2024 को दिन प्रातः 11 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हाजिर होने के लिए समंस किया जाता है।

आप इस न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसके सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करें जिस पर आपकी प्रतिरक्षा या प्रतिदावा आधारित है।

अतः आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में हाजिर नहीं होंगे तो दावे की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

नोट :- यदि किसी कारणवश आगामी तिथि को अवकाश हो जाता है या कार्य स्थगित हो जाता है या पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो तो प्रकरण की सुनवाई ठीक अगले कार्य दिवस पर किया जावेगा।

यह आज तारीख 26.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से अधिकरण की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

रायपुर छ.ग.
दिनांक 26.04.2024

(भूपेश कुमार बसंत)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक रायपुर छ.ग.

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने भूमि स्वामी श्री रामकृष्ण साहू उम्र 58 वर्ष पिता श्री पचकौड साहू ग्राम सांकरा, भिलाई - 3 तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. के हक व स्वामित्व के जो वाके मौजा ग्राम सांकरा पं.ह.नं. 06, रा.नि.म. अम्लेश्वर तह. पाटन, जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित है जिसका भूमि खसरा नं. 1232/1 कुल रकबा 0.500 हेक्टेयर है, जिसमें से 4000 वर्गफिट भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा मार्फत आशीष सिंह ठाकुर उम्र 27 वर्ष पिता श्री यशवंत सिंह ठाकुर निवासी 50/70 पुराना पुलिस लाईन सोनारपारा पुरानी बस्ती रायपुर छ.ग. से किया है, उपरोक्त भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर बतौर विक्रय प्रतिफल अग्रिम बयाना राशि का भुगतान कर अनुबंध पत्र निष्पादित कर दिया है, अब विक्रय विलेख का पंजीयन किया जाना शेष है।

अतएव मेरे पक्षकार की ओर से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि के क्रय विक्रय या स्वत्व के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, बैंक, निगम, निकाय, शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति या उजर दावा हो तो इस सूचना प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर मेरे कार्यालय के पता पर मय दस्तावेज उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, समयावधि पश्चात् की गई आपत्ति या दावा शून्य और अवैध मानी जावेगी, जो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा।

अतः सूचना जाने।

रायपुर छ.ग.
दिनांक 29.04.2024

श्रीमती निवेदिता मिश्रा, श्रीमती सीता सिंह
अधिवक्तागण
कार्यालय जी-2, श्रीरामनगर
फेस - 1 रायपुर छ.ग. मो. नं. 9827118538

-: आम सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने विक्रेतागण भूमिस्वामीगण राजेश सिंह पिता स्व. जतन सिंह, दौलत साहू पिता संतोष कुमार साहू, दोनों निवासी-भैरव नगर, मठपुरैना, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जिसे पंजीकृत बैनामा के माध्यम से दिनांक 12.04.2024 को क्रय कर दखल वो कब्जा प्राप्त किया है तथा नामांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त इकरारशुदा भूमि वाके मौजा ग्राम कूंरा, प.ह.नं- 03, रा. नि. मं. - रायपुर 15 धरसींवा, तहसील-धरसींवा, जिला - रायपुर छ.ग. स्थित भूमि ख.नं.-1364/10 का भाग, रकबा-0.202 हेक्टेयर को क्रय करने का पक्का सौदा कर अग्रिम बयाना राशि देकर इकरारनामा निष्पादन कर चुका है, केवल बैनामा निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही शेष है।

अतः उक्त संव्यवहार से जिस किसी भी व्यक्ति, बैंक, साहूकार, शासकीय अथवा गैर शासकीय निकाय, निगम, पारिवारिक सदस्य एवं अन्य को कोई दावा या आपत्ति हो तो आम सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 दिनों के भीतर मय दस्तावेज के लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर पावती लेंवे, केवल आम सूचना का खण्डन मान्य नही होगा। म्याद बाद की गयी दावा या आपत्ति इस आम सूचना के समक्ष अवैध व शून्य मानी जावेगी तथा मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होगी, एवं मेरा पक्षकार अपने पक्ष में बैनामा पंजीयन कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

सो सूचना जाने।

रायपुर छ.ग.
दिनांक - 29.04.2024

लखन लाल देवांगन
अधिवक्ता
न्यू चंगोराभाठा, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. - 9926179614

आम सूचना

(ग्राम बेन्द्री प.ह.नं 18 रा.नि.मं. केन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 141 एवं 146/2 रकबा क्रमशः 0.5710 हे., एवं खसरा नंबर 0.1900 हे.कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7610 भूमि के संबंध में)

सर्वविदित हो कि हमारे पक्षकार ने विक्रेता श्री हरमीत सिंह खनूजा पिता श्री जसपाल सिंह खनूजा निवासी बी-303, ओम श्री किंगकोर्ट व्ही.आई.पी. करिश्मा के बगल में, शंकरनगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम बेन्द्री प.ह.नं 18 रा.नि.मं. केन्द्री तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ.ग. स्थित भूमि खसरा नंबर 141 एवं 146 / 2 रकबा क्रमशः 0.5710 हे., एवं खसरा नंबर 0.1900 हे. कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7610 भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर लिया है, तथा ब्याना भी अदा कर दिया है, केवल विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया शेष है।

अतः उपरोक्त वर्णित संपत्ति के स्वत्व, अंतरण, आधिपत्य, भारमुक्तता के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, व्यक्तियों की संस्था, निकाय, बैंक, शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज नीचे लिखे पते पर प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद म्याद मेरे पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिया जावेगा। तत्पश्चात प्रस्तुत आपत्ति शून्य व अवैध होने से मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

सो सूचना जानें।

रायपुर छ.ग.
दिनांक 29-04-2024

सुनील कुमार दुआ, सतीश मानके, वैभव देवांगन
अधिवक्तागण
डी-306, सेक्टर-5, टैगोरनगर रायपुर छ.ग.
मो.नं. 94252 12941

आम सूचना

(मौजा भाठागांव प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. - रायपुर तह. व जिला - रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि जिसका खसरा नं. 257/178 रकबा 2000 वर्गफुट के संबंध)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पक्षकार भूपेन्द्र साहू पिता श्री संतराम साहू निवासी- ग्राम-नवागांव, पो.- कामता, तह. सिमगा जिला बलौदाबाजार छ.ग. के व्दारा श्रीमती सोमा देवांगन पिता स्व. श्री बैकुंठनाथ देवांगन निवासी- एच.आई.जी.- 2/103, सेक्ट.-4, लिटिल फ्लावर, विद्यालय के पास डी.डी. नगर रायपुर जिला रायपुर छ.ग. के हक एवं स्वामित्व कि परिवर्तित भूमि जो कि ग्राम भाठागांव प.ह.नं. 60 रा.नि.मं.- रायपुर तह. व जिला- रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि जिसका खसरा नं. 257/178 रकबा 2000 वर्गफुट स्थित है को क्रय करने का पक्का सौदा तय कर ब्याना स्वरूप अग्रीम राशि दो गवाहों के समक्ष भुगतान कर दिया गया है। शेष भूमि का पंजीयन कराया जाना बाकी है।

यदि उक्त संव्यवहार के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था निकाय, बैंक, शासकीय निकाय, अर्धशासकीय निकाय, कंपनी, साहूकार आदि को किसी भी प्रकार की उजर, दावा, आपत्ति हो तो वे अपनी दावा या आपत्ति हमारे कार्यालयीन पते पर 07 दिनो के भीतर सुसंगत मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें, अन्यथा बादम्याद की गयी आपत्ति अवैध व शून्य होगी। जो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। सो सूचना जानें।

रायपुर (छ.ग.) दिनांक 28/04/2024

रामदेव साहू, गुणेश कुमार,
संतोष नशीने, अधिवक्तागण
गोर्वधन नगर, पटेल बोरवेल्स के पास
भनपुरी रायपुर (छ.ग.) मो- 8839215858

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार नीलकंठ साहू पिता श्री मयाराम साहू निवासी- ग्राम भोथीडीह, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर छ. ग. द्वारा भूमिस्वामी 1. रूपेश कुमार यदु पिता स्व. अशोक 2. संतोष यादव, 3. मनबोध यदु, 4. मनहरण यादव, 5. चन्द्रिका यदु, 6. चन्द्रशेखर यदु, 7. अमरीका बाई यदु पिसरान सुखीराम काश्तकार ग्राम- ग्राम भुरका, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर छ.ग. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम घोंट, प.ह.नं. 18 रा.नि. मं. नवापारा, तहसील गोबरा नवापारा, जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि ख.नं. 565, 848 रकबा क्रमशः 0.28 हे., 0.13 हे. भूमि को से खरीदने का पक्का सौदा तय कर लिया है तथा विक्रय पंजीयन कराया जाना शेष है।

अतः उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय, बैंक, साहूकार, महाजन, या शासकीय अथवा अर्धशासकीय कार्यालय को किसी भी प्रकार से कोई उजर आपत्ति या दावा हो तो मेरे नीचे लिखे कार्यालय पते पर सूचना प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के भीतर खुद अथवा अपने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता / अभिभावक माध्यम से सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर पावती ले लेवें अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उक्त समय व्यतित होने के पश्चात उक्त भूमि का विक्रय पंजीयन खुद अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के नाम पर पंजीयन करा लेवेंगा तथा बाद में किया गया दावा आपत्ति मेरे पक्षकार के उपर बंधनकारी नहीं होगा। एवं सदभावक क्रेता माना जावेंगा।

दिनांक- 29/04/2024, स्थान- अभनपुर

नागेन्द्र कुमार सिन्हा
अधिवक्ता अभनपुर
मो.नं. 9893906809

आम सूचना

(मौजा- लालपुर प.ह.नं. 00012 रा.नि.मं- रायपुर-16- सारागांव तह.-धरसीवा, जिला -रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नं. 228/1 रकबा 1.9220 हे. के सम्बंध में)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री यशवंत सिन्हा पिता श्री रामाश्रय प्रसाद सिन्हा दवारा उपरोक्त वर्णित भूमि के भूमिस्वामी विक्रेतागण क्रमशः (1) श्री दीपक कुमार साहू पिता श्री सेवकराम साहू (2) मीना साहू पिता श्री सेवकराम साहू, (3) श्रीमती रामकुंवर साहू पिता श्री सेवकराम साहू (4) दान कुंवर साहू उर्फ टेटकी साहू पिता- सुखराम साहू (5) श्रीमती बैसाखिन साहू पिता- सुखराम साहू (6) श्रीमती चन्दासाहू पिता सेवकराम साहू सभी निवासी -लालपुर तह. धरसीवा जिला रायपुर से उनकी भूमिस्वामी हक की भूमि ख. नं. 228/1 रकबा 1.9220 हे. को क्रय करने का पक्का सौदा किया जाकर विक्रय इकरारनामा दिनांक 7/4/2022 को निष्पादित किया जा चुका है एवं बयाना राशि विक्रेतागण प्राप्त कर चुके हैं। शेष राशि विक्रय निष्पादन के समय दिया जाना तय हुआ है।

अतः इस संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति संस्था शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय बैंक बीमा वित्तीय संस्था निगम, निकाय, बोर्ड, प्राधिकरण, निजी संस्था, आदि को किसी भी प्रकार की उजर आपत्ति हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिन के भीतर अपनी उजर, आपत्ति का दावा मेरे कार्यालय में सुसंगत मय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद म्याद की गई किसी भी प्रकार की उजर, आपत्ती या दावा मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगा और शून्य माना जाएगा। मेरा पक्षकार अपने पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित करवा लेगा। सो सूचना जानें।

दिनांक 29/4/2024

ए. आर. खान अधिवक्ता
बजरंग टावर द्वितीय तल
मेन रोड पंडरी रायपुर छ.ग. मो. नं. 8827382316

आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार क्रेतागण 01. श्री अक्षांश गिरी पिता- श्री सुरेन्द्र गिरी निवासी - पं. शिवराम स्कूल के पास, भावना नगर, पो. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) 02. श्री संदीप कुमार पिता- श्री राजेन्द्र सिंह निवासी-मारुती रेसीडेंसी, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) वाले के द्वारा विक्रेता श्रीमती वर्षा द्विवेदी पति - श्री संजय कुमार द्विवेदी निवासी - म. नं. एफ-14, कृषक नगर, जोरा, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) वाली के स्वामित्व एवं आधिपत्य की स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा नंबर - 541 रकबा 0.1200 हेक्टेयर भूमि, जो कि वाके मौजा ग्राम - खेरझीडीह प.ह.नं. 00033, रा.नि.मं- आरंग तहसील आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है। उक्त भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा तय कर अग्रिम राशि अदा कर दी है। वह कि शेष बकाया राशि का भुगतान कर उपरोक्त भूमि का विक्रय पंजीयन की कार्यवाही किया जाना है।

अतः उपरोक्त सौदे एवं संव्यवहार के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, निगम, शासकीय व अशासकीय विभाग या अन्य किसी को कोई उजर, दावा या आपत्ति हो अथवा उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग पर किसी प्रकार का स्वत्व, हक, अधिकार या भार हो तो वे इस आम सूचना प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में मय सुसंगत दस्तावेजों के साथ मेरे समक्ष प्रस्तुत करें उक्त समयावधि के अवसान पश्चात् मेरे पक्षकार के द्वारा उक्त वर्णित भूमि के विक्रय विलेख का निष्पादन व पंजीयन अपने पक्ष में करा लिया जावेगा तत्पश्चात् प्रस्तुत की गई किसी भी प्रकार की उजर, दावा एवं आपत्ति आदि असत्य झूठा एवं सारहीन माना जावेगा तथा ऐसा आपत्ति मेरे पक्षकार के उपर मान्य एवं बंधनकारी नहीं होगा।

सो सूचना जाने।

रायपुर, (छ.ग.)
दिनांक 29/04/2024

(अभिजीत गोस्वामी, अनिल कुमार)
अधिवक्तागण
आफिस नंबर- 21, 22 मोतीबाग कॉम्पलेक्स, मोतीबाग चौक, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. - 99070-64105, 62615-20809

आम - सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने यु. एल. एम. एजुकेशन सोसाईटी द्वारा चेयरमेन श्री अनिल कुमार मंगल पिता स्व. उधालाल मंगल पता एस. के. प्लाजा, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.) से उनके भूमि स्वामी हक की कृषि भूमि खसरा नंबर 705/12 क्षेत्रफल 0.4050 हेक्टेयर, खसरा नंबर 719 / 1 क्षेत्रफल 0.4250 हेक्टेयर, खसरा नंबर 807 / 2 क्षेत्रफल 0.1780 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 807 / 4 क्षेत्रफल 0.1780 हेक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 1.1860 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम गिरौद प. ह. नं. 22 रा. नि. धरसींवा - 2 तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है, उक्त भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर ब्याना राशि अदा कर दिया है, मात्र उक्त भूमि के बैनामे का निष्पादन व पंजीयन शेष है।

अतः उपरोक्त भूमि के स्वामित्व, आधिपत्य एवं अंतरण के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निकाय बोर्ड, शासकीय एवं अर्ध-शासकीय निकाय, महाजन, साहूकार आदि को उक्त संव्यवहार या उसके किसी भाग पर कोई उजर, दावा या आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिन के भीतर मेरे समक्ष मेरे नीचे लिखे पते पर मय दस्तावेज आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा समयावधि पश्चात् मेरे पक्षकार द्वारा उपरोक्त भूमि का पंजीयन अपने पक्ष में करवा लिया जाएगा। बाद म्याद की गई आपत्ति अवैध एवं शून्य होगी, जो कि मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी। अतः सूचना जानें।

रायपुर (छ.ग.), दिनांक -29.04.2024

किशोर कुमार साहू, विजय साहू
अधिवक्तागण,
एच / 7, सेल टैक्स कॉलोनी,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
मोबा.- 98262 20114

आम सूचना

मौजा - सेरीखेड़ी, प.ह.नं., 77 रा.नि.म. रायपुर-18 कांदुल, खसरा नं 15018 का भाग, रकबा - 20000 वर्गफुट स्थित भूमि के संबंध में।

सर्वविदित हो कि हमारे पक्षकार द्वारा संदीप वर्मा पिता श्री डी पी वर्मा निवासी- राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि स्थित मौजा- सेरीखेड़ी, प.ह.नं.- 77, रा.नि. मं. -रायपुर-18 कांदुल, तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) स्थित खसरा नंबर - 15018 का भाग रकबा - 20000 वर्गफुट भूमि को क्रय करने का पक्का सौदा कर लिया है, केवल विक्रय पत्र पंजीयन की प्रक्रिया शेष है।

अतः उपरोक्त सम्पत्ति के स्वत्व, आधिपत्य, भारमुक्तता एवं अंतरण के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, व्यक्तियों, शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थान, बैंक, वित्तीय निकायों आदि को किसी भी प्रकार का उजर, दावा या आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन से 7 (सात दिन) के अंदर अपनी आपत्ति मय दस्तावेज में नीचे लिखे पते पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर देवें, बाद म्याद हमारे पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जायेगा। तत्पश्चात प्रस्तुत आपत्ति अवैध एवं शून्य होने से हमारे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं रहेगी। सो सूचना जाने।

रायपुर (छ.ग.), दिनांक - 29.04.2024

सौरभ जैन, अधिवक्ता
विमला विहार अपार्टमेन्ट, पानी टंकी के पास
भाठागांव, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. - 7000826909

आम सूचना

ग्राम- बाहनाकाडी प.ह.नं. 13, रा.नि.मं. मंदिर हसौद तहसील मंदिर हसौद जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि के संबंध में

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार ने विक्रेता श्रीमती सोनल कौर गंभीर पिता सरदार दिलीप सिंह छाबडा धर्मपत्नि श्री हरभजन सिंह गंभीर निवासी - ए - 402, चतुर्थ तल, अम्बा पार्क, अपोलो चौक के पास लिंगियाडीह, बिलासपुर छ.ग. के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वाके मौजा ग्राम - बाहनाकाडी, प.ह.नं. 13, रा. नि. मं. मंदिर हसौद तहसील मंदिर हसौद जिला रायपुर छ.ग. में स्थित खसरा नंबर 84 / 2 रकबा 0.3300 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 84/3 रकबा 0.3300 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.6600 हेक्टेयर भूमि को खरीदने का पक्का सौदा कर लिया है तथा जिसका पंजीयन किया जाना शेष है।

उपरोक्त वर्णित संव्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, सोसायटी, बैंक, शासकीय - अर्धशासकीय निकाय, महाजन अथवा किसी पारिवारिक सदस्य या अन्य को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति या उजर, दावा हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के भीतर हमारे कार्यालय में मय दस्तावेज प्रत्यक्ष रूप से अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर पावती लेंवे। समयावधि पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हमारे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथा इसके समक्ष शून्य व अवैध समझी जावेगी तथा हमारे पक्षकार के पक्ष में बैनामा पंजीयन का निष्पादन करा लिया जावेगा।

सो सूचना जानें।

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 29/04/2024

हरनामदास सुदरानी, कौशलेन्द्र तिवारी,
अनंत तिवारी, अधिवक्तागण,
लिबर्टी फोटो कापी सेंटर, कचहरी चौक, रायपुर
(छ.ग.) मो. -98261-81154